भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 4121
गुरुवार, 19 दिसंबर, 2024/28 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

होसुर विमानपत्तन की स्थापना

4121. श्री के. गोपीनाथ:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने होसुर में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना को मंजूरी दे दी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) उक्त विमानपत्तन की स्थापना के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा और स्थिति क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग)**:** देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता हवाईअड्डे का विकास करने को इच्छुक है, तो उसे हवाईअड्डे के निर्माण के लिए उचित साइट चिह्नित करना होगा और व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन करवाना होगा तथा 'साइट क्लीयरेंस' के उपरांत 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

भारत सरकार को होसुर, तमिलनाडु में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति, 2008 के तहत तमिलनाडु सरकार या किसी हवाईअड्डा विकासकर्ता से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, तमिलनाडु राज्य सरकार के अनुरोध पर, चार प्रस्तावित साइटों का व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन करने के लिए एएआई और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ) अधिकारियों की एक बहु-विषयी दल ने सितंबर, 2024 में कृष्णागिरी जिले में अवस्थित होसुर का दौरा किया। इससे संबंधित अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है।

*****